Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

12/June/2025 08:13:58 PM

जनपद : आगरा **तहसील :** आगरा **ग्राम :** ककुआ

ग्राम कोड : 124621 **फसली वर्ष :** 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) **खाता संख्या :** 00612

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण			खातेदार का अंश	
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व

अप्रमाणित प्रति

791	1) हरदम सिंह / मिही लाल / अरदाया तह0 किरावली 2) श्यामवीर सिंह / मॉगे / अरदाया तह0 किरावली 3) जमुनी / रघुवीर सिंह / अरदाया तह0 किरावली 4) कमल सिंह / रघुवर सिंह / अरदाया तह0 किरावली 5) श्रीमती पार्वती / वि0वारिस वासदेव / अरदाया तह0 किरावली 6) श्रीमती भौहतादेवी / स्व0हाकिम सिह / अरदाया तह0 किरावली 7) कालीचरन / हरीसिह / नि. ग्राम 8) भीकमसिह / हरी सिह / नि.ग्राम 9) राजकुमार / हरी सिह / नि.ग्राम	1404 फ0	**791 (12462107910000012)**	0.9120	17.15

अप्रमाणित प्रति

10) मुकेश / हरी सिह /
नि.ग्राम

11) नीरज / हरी सिह /
नि.ग्राम

12) जलदेवी पत्नी / हरी सिह /

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

कुल गाटे : एक **कुल क्षेत्रफल :** शून्य दशमलव नौ एक दो शून्य (हेक्टेयर) **कुल भू-राजस्व :** एक सात दशमलव एक पांच रुपये

अप्रमाणित प्र

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	**(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)**	**(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड**	**(13) क्षेत्रफल(हे०)**	**(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)**	**(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड**	**(16) क्षेत्रफल(हे०)**
1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202501010100192 / 13-02-2025 / दुरस्ती (सिर्फ नाम हटायें) / ASHOK KUMAR () / 17-02-2025	1.1) हरदम सिंह/मिही लाल/अरदाया तह0 किरावली (: -) 1.2) श्रीमती भौहतादेवी/ स्व0हाकिम सिह/अरदाया तह0 किरावली (: -) 1.3) कालीचरन/हरीसिह/ नि. ग्राम (: -)	791 (1246210791000012)	1.1) - 1.2) - 1.3) - 1.4) - 1.5) -	1.1) - 2.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / - 3.1) आगरा विकास	791 (1246210791000012)	1.1) - 2.1) - 3.1) - 4.1) -

अप्रमाणित प्रति

2) अन्य / T202501010103267 / 19-04-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 06-05-2025 3) अन्य / T202501010103260 / 19-04-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 06-05-2025 4) अन्य / T202501010103212 / 19-04-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 06-05-2025	1.4) भीकमसिह/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.5) राजकुमार/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.6) मुकेश/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.7) नीरज/हरी सिह/ नि.ग्राम (: -) 1.8) जलदेवी पत्नी/हरी सिह/नि.ग्राम (: -) 2.1) श्यामवीर सिंह/मॉगे/ अरदाया तह0 किरावली (: -) 3.1) श्रीमती पार्वती/ वि0वारिस वासदेव/अरदाया तह0 किरावली (: -) 4.1) जमुनी/रघुवीर सिंह/ अरदाया तह0 किरावली (: -)	1.6) - 1.7) - 1.8) - 2.1) - 3.1) - 4.1) -	प्राधिकरण आगरा / - / - 4.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -

अप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :
1) 1423फ::- व आदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैकऑफ आर्यावर्त शाखा ककुआ आगरा के आदेश दि0 03-02-16 के अनुसार पार्वती पत्नी वासदेव का खाता 120000/- में बन्धक किया जाता है ह0आर0के016-04-16/क्र. 2013 (**डिजिटल हस्ताक्षर :** MAN PAL SINGH (REVENUE INSPECTOR) / 18-11-2019)

2) 1431फ व आदेश श्रीमान ना०तह०बरौलीअहीर के आदेश दि० 18-04-24 के अनुसार मौजा ककुआ के गाटा संख्या 435/1.6350हे०, 780/0.5572हे०, 791/0.9115हे० कुलकिता 3 क्षेत्रफल 3.1037हे० मे 1⁄5 भाग मे से 1/2 भाग पर श्यामवीर सिंह पुत्र मॉगे नि० अरदाया तह0 किरावली आगरा का नाम दर्ज रहेगा अंश सही किया जाए द्वारा पत्रावली ह०आर०के० 18-04-24 (**डिजिटल हस्ताक्षर :** ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 19-04-2024)

पूर्व आदेशों का विवरण :
1) व आदेश श्रीमान चकबन्दी अधिकारी वाद सं0 87/26-05-07 नियम 109 (क) आदेश हुआ कि ग्राम ककुआ परगना व तहसील आगरा के आ0प045 के खाता सं0 317 में अंकित नवीन गाटा सं0 435 रकवा 1.6350 व 780/0.5562, 791/0.9115 खाता से खारिज करके आ0प045 के खाता सं0 317अ जमुनी पुत्र

2) रघुवीर के खाते में गाटा सं0 791 रकवा 0.3073 व आ0 प0 45 के खाता सं0 317ब कमल सिह पुत्र रघुवीर सिह के खाते मे नवीन गाटा सं0 780/0.2731 व खाता 317स मु0पारवती विधवा वासदेव के खाते मे गा0सं0 791 रकवा 0.2743 व 780 रकवा 0.2840 व खाता सं0 317द मिहीलाल पुत्र रघुवीर सिह के खाते मे गाटा सं0 435

3) रकवा 0.6786 व आ0प045 के खाता सं0 317घ मॉगे पुत्र रघुवीर सिह के खाते मे गाटा सं0 435 रकवा 0.3016 व 791 रकवा 0.3299 व खाता सं0317न हरी सिह पुत्र छिददू के खाते मे गाटा सं0 435 रकवा 0.6548 दर्ज हो ह0च0अ0 15-11-07

4) 1429फ व आदेश श्रीमान रा0नि0 पोर्टल आर सी प्रपत्र 9 कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या-202111460076 6001959 दि0 25-08-21 के अनुसार कमल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह मृतक के स्थान पर पुष्पा पत्नी कमल सिंह व सुनील कुमार, नरेन्द्र कुमार, प्रेम सिंह, श्रीनिवास सिंह, रवेन्द्र सिंह पुत्रगण कमल सिंह नि0 ग्राम व पोस्ट ककुआ का नाम वतोर वारिस दर्ज हो ह0आर0के0 03-09-21

अप्रमाणित प्रति

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रति

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010103212
वाद संख्या:- 3212/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम जमुनी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/04/2025

वाद सं0 ज्202501010103212/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम जमुनी

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.3073हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने जमुनी सेे कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.3073हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नही है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00612 के गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.3073हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्ेरता जमुनी पुत्र श्री रधुवीर सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 2802000/-रू0 आवेदन संख्या-202500766017029 दिनांक 12.03.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010103260
वाद संख्या:- 3260/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम पार्वती
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/04/2025

वाद सं0 ज्202501010103260/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम पार्वती

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.2743हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने पार्वती सेे कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.2743हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नही है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00612 के गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.2743हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्ेरता पार्वती पत्नी श्री वासदेव उर्फ वासुदेव निवासी ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 13715000/-रू0 आवेदन संख्या-202500766017147 दिनांक 12.03.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010103267
वाद संख्या:- 3267/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम श्यामवीर सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 19/04/2025

वाद सं0 ज्202501010103267/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम श्यामवीर सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.16495हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने श्यामवीर सिंह सेे कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। मौजा गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.16495हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नही है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00612 के गाटा संख्या 791 रकवा 0.9120हे0 में से रकवा 0.16495हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्यामवीर सिंह पुत्र मांगे उर्फ मांगेलाल निवासी ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 8247500/-रू0 आवेदन संख्या-20250766017124 दिनांक 12.03.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

भारतीय गैर न्यायिक ... N JUDICIAL

रु. ...00

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

...र रुपये

15...

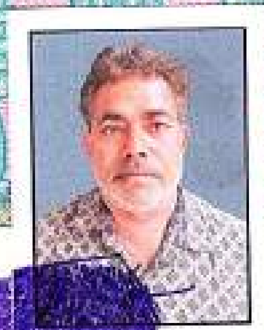

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052216

A 052216

बैनामा / विक्रय विलेख पत्र

किस्म दस्तावेज	—	बैनामा
भूमि का प्रकार	—	कृषि भूमि
मौजा / ग्राम	—	मौजा– ककुआ, तहसील व जिला आगरा
सम्पत्ति का विवरण	—	कृषि भूमि खाता सं0 00612 (1427–1432 फसली) खसरा सं0 791 क्षेत्रफल 0.9120 हेक्टेयर में से 0.16545 हेक्टेयर
यूनिक कोड	—	1246210791000012
मापन की इकाई	—	हेक्टेयर
विक्रीत क्षेत्रफल	—	0.16545 हेक्टेयर
पेड़ों का मूल्यांकन	—	पेड़ नहीं है।

यह स्टाम्प धनराशि क्र0..........
नं0 1 मे शामिल है !

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUD

रु. 15000

Rs. 15000

पन्द्रह

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052215

कुंआ, बोरिंग व अन्य–		नहीं है
सड़क की स्थिति	–	सामान्य कृषि भूमि
सरकारी मालियत	–	20,68,125/– रुपया
प्रतिफल की धनराशि–		82,72,500/– रुपया
सर्किल रेट	–	125,00,000/– रुपया प्रति हेक्टेयर जो उपनिबन्धक चतुर्थ सदर आगरा की दर सूची के पृष्ठ संख्या 47 क्रम सं0 245 पर अंकित है।
स्टाम्प	–	5,79,150/– रुपये

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

रवेन्द्र सिंह

यह स्टाम्प धनराशि स0 ______
नं0 1 मे शामिल है !

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury AGRA

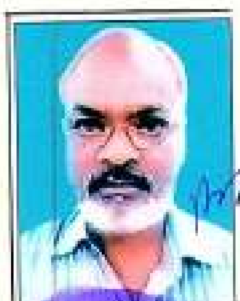

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052214

अन्य विवरण – विक्रीत आराजी की 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, लिंक मार्ग व आबादी के सहारे स्थित नहीं है, सामान्य कृषि भूमि है। विक्रीत आराजी धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हुई है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है।

सुनील कुमार, नरेन्द्र कुमार, प्रेम सिंह, श्रीनिवास सिंह व रवेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री कमल सिंह व श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री कमल सिंह निवासीगण ककुआ, तहसील व जिला आगरा मो0नं0 7830855518 पैन नं. IHMPK3719R, ICSPK0710H, GOQPS0375E, ALEPN7767L, GZCPS8845A, FDCPP3854D

.........प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवं

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा जो उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी आगरा (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार जिन्हें उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 14.08.2024 द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। मो0 नं0 9458626266 पैन नं. AAALA0081F

............द्वितीय पक्ष / क्रेता

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेम सिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि०प्र० पुष्पा देवी

125/2

यह स्टाम्प पत्रावली सं० 5391/25
पे०1 में शामिल है।

7/3/25

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052213

प्रलेख –

विदित हो कि विक्रेता प्रथम पक्ष एक किता आराजी वाकै मौजा ककुआ तहसील व जिला–आगरा कृषि भूमि खाता सं0 00612 (1427–1432 फसली) खसरा सं0 791 क्षेत्रफल 0.9120 हेक्टेयर में से 0.16545 हेक्टेयर लगानी 60ख अनुसार सन् फसली 1427–1432 फसली का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील दर्ज खातेदार चला आता है। जिसमें सिवाय प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है। जिसकी वावत् विक्रेतागण ने शपथ पत्र भी द्वितीय पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उक्त खाते की भूमि में उनका संयुक्त रूप से 0.16545 हेक्टेयर हिस्सा है जिसको वह द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय करने को पूर्ण रूप से सहमत है उक्त विक्रय की वावत् उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। उक्त आराजी आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों, जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है।

सुनील कुमार नरेन्द्र कुमार

देवीसहं

श्रीनिवास सिंह

निरूपमा

रवेन्द्र सिंह

10/3

5391/-

[illegible]
CASHIER
Treasury, Agra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052212

विक्रीत आराजी नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथम पक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विक्रीत आराजी कृषि भूमि है और विक्रीत आराजी को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006, की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता टाउनशिप विकसित करने हेतु उक्त कृषि भूमि को क्रय करने का इच्छुक है जिसको क्रय करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सरकारी मालियत की चार गुना धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष अपनी सम्पूर्ण आराजी को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सहमत है। जिसमें विक्रेता का पूरा–पूरा लाभ है।

10/4

52912

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052211

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाब किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित आराजी का विक्रय 82,72,500/- रूपया में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा सहप्रभारी भूअर्जन श्री विमल कुमार) क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण अधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कतई किया और बेच दिया। प्रथम पक्ष ने कीमत का कुल रूपया मु0 82,72,500/- रूपया इस प्रकार प्राप्त किया कि-

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

देवेन्द्र सिंह

नि. अ. पुष्पा

15/5

यह स्टाम्पपत्र ट्रेजरी क्र. 5391/2

नं0 1 से जारित है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052210

क्र.सं.	धनराशि	चैक / डी0डी0 RTGS/UPI सं0	दिनांक	बैंक का नाम
1.	13,78,750 /–	066823	12-03-25	HDFC
2.	13,78,750 /–	066822	"	"
3.	13,78,750 /–	066824	"	"
4.	13,78,750 /–	066826	"	"
5.	13,78,750 /–	066827	"	"
6.	13,78,750 /–	066825	"	"
कुल	82,72,500 /–			

(नोट– विक्रीत आराजी कृषि भूमि होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194(एल.ए) के तहत टी0डी0एस0 काटने की आवश्यकता नहीं है।)

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है। जिसको प्रथम पक्ष गवाहों के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है। अब उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष विक्रेता का द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ लेना व पाना शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

सुनील कुमार   नरेन्द्र कुमार

हेमसिंह   हरिश्चन्द्रसिंह

रवेन्द्रसिंह   नि.अ. 5047

15/6

यह प्रमाण पत्र क्र ______ 53918
नं0 1 से कार्तित है।

[illegible]SH KUMAR
[illegible]ASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052209

अतः कब्जा व दखल विक्रीत कृषि भूमि पर विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को विक्रीत कृषि भूमि का पूर्णतः मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से उपरोक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा व स्वामित्व किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि से चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, विक्रय करे, कृषि कार्य करे चाहे जैसे अपने प्रयोग में लावे, किसी भी ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करे अथवा जिस प्रकार चाहे क्रय की गई भूमि का उपयोग करे। इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष उपरोक्त बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण कराये प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता हैं। विक्रीत कृषि भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी संलग्न हैं।

सुनील कुमार नरेन्द्र कुमार

कैलाश सिंह अविनाश सिंह

देवेन्द्र सिंह

नि० अ० पुष्पा

18/7

5791/12

Cashier

Treasury, Agra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052208

यह कि अगर भविष्य में कोई कॉमी या खानदानी या कोई वारिस या कोई दीगर व्यक्ति या कोई दीगर किफालतदार पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करने पड़े या खर्चा करने पड़े या क्रेता के हक व अधिकार से उक्त आराजी का कुल जुज व कब्जा व दखल निकल जावे, तो ऐसी उन कुल तमाम सूरतों में उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की होगी जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। विक्रेता प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है एवं वचन देता है कि उसके द्वारा विक्रय प्रतिफल धन से पूर्ण संतुष्ट होकर यह विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है

1st/8

5791/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052207

और इस सम्बन्ध में अथवा विक्रय प्रतिफल धनराशि को बढ़वाने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रबुनल आदि में कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा तथा यदि विक्रीत भूमि की वास्तविक पैमाइश के समय भूमि मौके पर कम पायी जाती है तो वह आनुपातिक रूप से कम भूमि का मूल्य मय व्याज 12 प्रतिशत सालाना की दर से क्रेता द्वितीय पक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को वापस कर देगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मय व्याज व हर्जे, खर्चे के विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों से वसूल करने का अधिकारी होगा।

सुनील कुमार नरेन्द्र कुमार

देवेन्द्र सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.अ.प्रथम

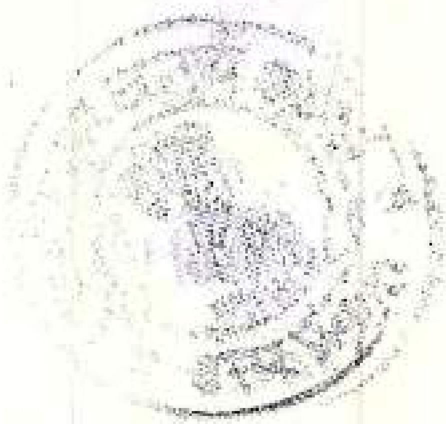

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052206

यह कि विक्रय प्रतिफल धनराशि पर यदि कोई इनकम टैक्स देय होगा अथवा विक्रीत भूमि पर यदि कोई अन्य टैक्स अथवा वैधानिक देयता पायी जाती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी। महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार लेखपत्र में वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती हैं, पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित कर दिये गये हैं। उक्त बैनामा का खर्चा व स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

10/10

यह स्टाम्प धनराशि रु0 5791/- नं0 1 से शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052205

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनीत कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

रविन्द्र सिंह

यह स्टाम्प कागजात क्र0 5791/12
नं0 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052204

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

केमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.अं. पुष्पा

13/12

KUMAR
CHER
AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052203

-14-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

10/13

5/9/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052202

-15-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

खेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

इन्द्र सिंह

प्रि. कु. पुष्पा

यह स्टाम्प वस्तावेज़ नं० 1 में शामिल है।

MAHESH KUMAR
CASHIER
Treasury AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052201

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

18/15

यह स्टाम्प प्रमाणीपत्र 5291 नं0 1 मे शामिल है :

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052200

A 052200

-17-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

प्रि.अ.प्रधान

CASHIER

AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052199

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

7 MAR 2025

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

ब्रि. अ. पुष्पा

529/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052198

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

10/10

5391/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052197

A 052197

-20-

7 MAR 2025

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

श्रीनिवासिंह

डेमसिंह

रमेन्द्रसिंह

प्रि. मा. पुष्पा

यह स्टाम्प धनराशि स0 ......
नं0 1 मे शामिल है

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052196

7 MAR 2025

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

यह स्टाम्प प्रमाणपत्र सं0 52912
सं0 1 से शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052195

-22-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
[illegible], AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052194

A 052194

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

शिवनारायन सिंह

तेजसिंह

रवेन्द्र सिंह

डि. भ. गुप्ता

22

52914

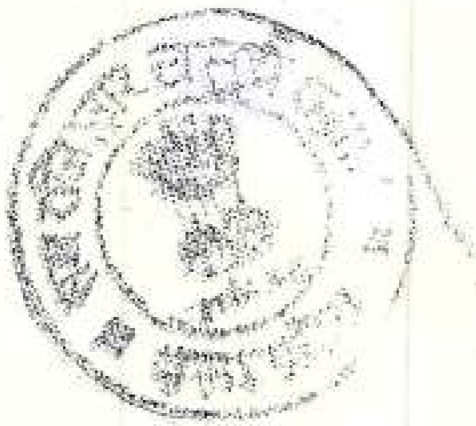

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052193

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

यह स्टाम्प बनाम ... 52914

नं0 1 मे शामिल है

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052192

स्टाम्प-बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

यह स्टाम्प धनराशि रू0 ______
सं0 1 में शामिल है।

… KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052191

-26-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

रवीन्द्र सिंह

15/1/25 559 170

MUKESH KUMAR
CASHIER
TREASURY, AGRA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052190

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

रवेन्द्र सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052189

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

21/655

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052188

-29-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052187

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

यह स्टाम्प धनराशि रु0 ____

नं0 1 में शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052186

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

12/30

52914

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052185

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

शशिबाला सिंह

रवेन्द्र सिंह

कि.अ. पुष्पा

12/31

52912

UMESH KUMAR
CASHIER
Treasury AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052184

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

32

KUMAR

AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052183

-34-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्री निवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

कि. अ. पुष्पा

1512/33

5391/20

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052182

-35-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

15/34

यह स्टाम्प धनराशि रु0 5291/-
नं0 1 मे शामिल है।

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052181

A 052181

7 MAR 2025

-36-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

हेमसिंह

श्रीनिवाससिंह

रवेन्द्र सिंह

नि. अ. पुष्पा

13/35 [illegible]
नं0 1 में शामिल [illegible]

5291

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 052180

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुशील कुमार

नरेन्द्र कुमार

खेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

श्रि.मु. पुष्पा

[illegible] KUMAR
CASHIER
[illegible] Agra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

462657

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

462656

7 OCT 2024

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

हेमसिंह

श्रीनिवासिंह

रवेन्द्र सिंह

नि. पुष्पा

यह स्टाम्प धनराशि पत्र 579 नं0 1 मे शामिल है।

... ESH KUMAR
... ASHIER
... OURY, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-40-

AK 976843

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुशील कुमार

नरेन्द्र कुमार

रविन्द्र सिंह

नि. अ. पुष्पा

CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 976842

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

1 श्री.[illegible] पुष्पा

57/40

57914

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -42- AK 976841

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

यह स्टाम्प [illegible] ख0 ______
नं0 1 मे शामिल है !

R... ...OSH KUMAR
...ASHIER
Tr...sury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-43-

AK 976824

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

हेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

त्रिभुवन प्रताप

... 53/...
101 मे शामिल है।

[illegible] KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 976823

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

54/43

5791/2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 976822

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुशील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीपाल सिंह

रविन्द्र सिंह

श्री. प्रदीप

यह स्टाम्प ... 53911
सं0 1 मे शामिल है।

...SH KUMAR
...SHIER
...ury, AGRA

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 976821

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

हेमसिंह

श्रीपालसिंह

देवेन्द्र सिंह

नि.अं. पुष्पा

आवेदन सं०: 202500766017079

(सरकारी)

विक्रय पत्र

Treasury, AGRA

CASHIER

बही स०: 1 | रजिस्ट्रेशन स०: 2389 | वर्ष: 2025

प्रतिफल- 8272500 स्टाम्प शुल्क- 579150 बाजारी मूल्य - 8272500 पंजीकरण शुल्क - 82730 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 220 योग : 82950

श्री आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा
विमल कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
सहप्रभारी भूअर्जन
व्यवसाय : अन्य
निवासी: आगरा

विमल कुमार अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय मे दिनाँक 12/03/2025 एवं
05:10:52 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ता

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक :सदर चतुर्थ
आगरा
12/0. /2025

निबंधन लिपिक
12/0. /2025

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-47-

AK 976820

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

आवेदन सं०: 202500766017079

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 2389 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

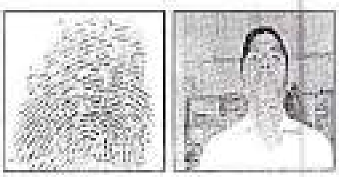

विक्रेता: 2

श्री नरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

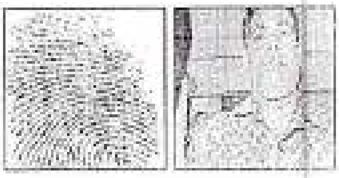

विक्रेता: 3

श्री प्रेम सिंह, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

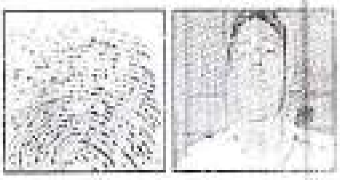

विक्रेता: 4

श्री श्रीनिवास सिंह, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

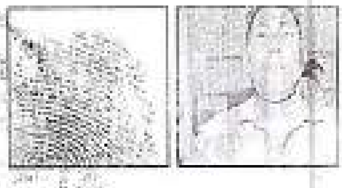

विक्रेता: 5

श्री रवेन्द्र सिंह, पुत्र श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ आगरा

व्यवसाय: अन्य

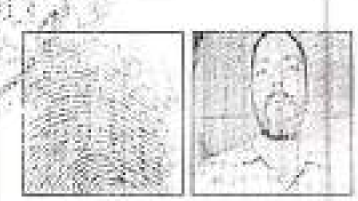

विक्रेता: 6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 306393

अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक 07.10.2024 को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर व निशानात अंगूठों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर इसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी इस विक्रय पत्र का प्रारूप पक्षों के दिये

सुनील कुमार

नरेन्द्र कुमार

प्रेमसिंह

श्रीनिवास सिंह

रवेन्द्र सिंह

नि.अ. पुष्पा

श्रीमती पुष्पा, पत्नी श्री कमल सिंह

निवासी: ककुआ, तहसील व जिला आगरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

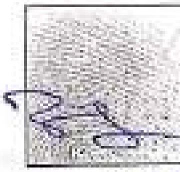

श्री आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा विमल कुमार, सहप्रभारी भूअर्जन

निवासी: आगरा

व्यवसाय: अन्य

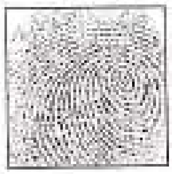

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार , पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: 8/153 ई-10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

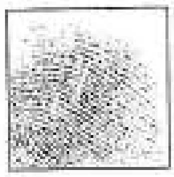

श्री रवि बघेल , पुत्र श्री नन्द किशोर

निवासी: 17/166 टीला माईथान, आगरा

व्यवसाय: अन्य

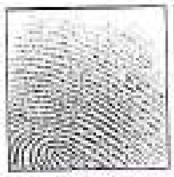

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

०००
निबंधक लिपिक आगरा
12/03/2025

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CP 245093

गये निर्देशों के अनुसार उनकी संतुष्टि पर प्रवीन कुमार रावत एडवोकट ने तैयार किया और दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर निष्पादित व हस्ताक्षरित किया है।

गवाह–1 विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह नि0 8/153 ई–10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा। मो0नं0 7895495945

गवाह– 2 रवि बघेल पुत्र श्री नन्द किशोर नि0 17/166 टीला माईथान, आगरा मो0नं0 8535056934

रवि बघेल

आवेदन सं०: 202500766017079

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7582 के पृष्ठ 1 से 100 तक क्रमांक 2389 पर दिनाँक 12/03/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्र० महेश गोस्वामी ०
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
आगरा
12/03/2025

प्रिंट करें